

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 357]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 27 अगस्त 2015—भाद्र 5, शक 1937

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2015

क्र. एफ 19-56-1993-एक-4.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-ट के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, राज्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा शर्तें) नियम, 1994 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

- (क) राज्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा शर्तें) नियम, 1994 के नियम 7(1) में उल्लेखित राशि रुपये 5200/- के स्थान पर रुपये 7800/- दिनांक 1 अप्रैल 2004 से देय होगा.
- (ख) राज्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा शर्तें) नियम, 1994 के नियम 7(1) में उल्लेखित राशि रुपये 7800/- के स्थान पर रुपये 16020/- दिनांक 1 जनवरी 2006 से देय होगा.

संजय कुमार मिश्र, उपसचिव.